UPGK010043062026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

प्रकीर्ण वाद संख्या–539/2026

अभिषेक कुमार बनाम स्टेट

मुकदमा अपराध संख्या– 702/2025

धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट

थाना–चिलुआताल, जनपद–गोरखपुर।

दिनांक–12.06.2026

आवेदक अभिषेक कुमार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3क पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक अभिषेक की ओर से प्रार्थना पत्र 3क दिनांकित 05.05.2026 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि– *"प्रार्थी वाहन सं0– यू0पी053 डी0एच0 1264 का पंजीकृत स्वामी है। प्रार्थी का वाहन उपरोक्त मु0अ0सं0–702/2025 धारा उपरोक्त में वांछित है जो स्थानीय थाना में घटना दिनांक 27.10.2025 से निरूद्ध है। प्रार्थी का उक्त वाहन स्थानीय थाने में खुले आसमान के नीचे खड़े रहने से बरसात एवं धूप से खराब होने की पूरी संभावना है जिससे प्रार्थी की अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना बनी हुई है। उरोक्त मामले में वाहन चालक/सहअभियुक्त अखिलेश उर्फ गुल्लू मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.12.2025 के द्वारा स्वीकृत है तथा जमानत बंध पत्र दाखिल कर रिहा है। प्रार्थी द्वारा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान ACJSD –II के यहां संबंधित वाहन के अवमुक्त के बावत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था जिसमें माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थानीय थाने से वाहन से संबंधित आख्या दिनांक 23.01.2026 को तलब की गयी थी तथा स्थानीय थाने द्वारा दिनांक 28.01.2026 को आख्या न्यायालय में प्रेषित है।"* स्थानीय थाने द्वारा प्राप्त आख्या दिनांक 28.01.2026 के आधार पर मा0 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार की लेकर पत्रावली में कोई आदेश या निर्देश पारित नहीं किया गया है। वाहन अवमुक्त/रिलीज किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल पत्रावली मा0 न्यायालय को कमिट किया जा चुका है, जो श्रीमान के यहां विचारण हेतु लंबित है। संबंधित वाहन के बावत स्थानीय थाने से आख्या तलब कर वाहन को प्रार्थी के नाम अवमुक्त/रिलीज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है , की याचना की गई है।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि उक्त वाहन द्वारा ही अभियुक्त द्वारा घटना कारित की गई है। प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध थाना चिलुआताल, जनपद गोरखपुर की आख्या में यह अवगत कराया गया है कि "*उक्त वाहन मोटरसाइकिल संख्या UP53DH1264 मुकदमा अपराध*

संख्या 702/2025 धारा 109, 3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलुआताल में घटना कारित करने हेतु प्रयुक्त वाहन है, जिसकी विवेचना के दौरान बरामदगी की गई थी। अभियुक्तगण राजन व अखिलेश उर्फ गुल्लू को दिनांक 28.10.2025 को गिरफ्तार किया गया था तथा उनके कब्जे से उक्त वाहन बरामद हुआ था। अभियुक्तों द्वारा अपने इकबालिया कथन में भी उक्त वाहन से घटना स्थल पर जाना एवं घटना कारित करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्त राजन द्वारा घायल राजनीत सिंह को गोली मारने की घटना में उक्त मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण वाहन घटना से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य है। विवेचना के दौरान वाहन का नक्शा नजरी तैयार किया गया तथा वाहन को विधिक कार्यवाही के उपरांत कब्जा पुलिस में लिया गया। वाहन की बरामदगी एवं घटना से संबद्धता केस डायरी में अंकित है। वाहन के संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष रिलीज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा थाना चिलुआताल से आख्या तलब की गई है। मुकदमे में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 109, 3(5) बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट के आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए हैं। हैं। वाहन अभियोजन साक्ष्य का महत्वपूर्ण अंग है। वाहन की पहचान, स्वामित्व एवं पंजीकरण संबंधी अभिलेखों का परीक्षण आवश्यक है। यदि माननीय न्यायालय वाहन रिलीज करने पर विचार करे तो वाहन स्वाभी से वैध अभिलेख प्रस्तुत कराया जाना न्यायोचित होगा।", जिससे यह ज्ञात होता है कि आवेदक उपरोक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा भी उक्त वाहन को आवेदक के पक्ष में अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में कोई ठोस कथन प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा थाने की आख्या में भी आवेदक के पक्ष में वाहन अवमुक्त किये जाने का विरोध नहीं किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि वाहन यांत्रिक होता है जिसे चालू हालत में रखने के लिये समय–समय पर उक्त वाहन का चालन एवं सर्विसिंग इत्यादि करानी पड़ती है। यदि थाना परिसर में उक्त वाहन को लम्बे समय तक निरूद्ध रखा जाता है तो उक्त वाहन के खराब होने की सम्भावना अत्यधिक बढ़ जाती है। साथ ही साथ यदि दौरान विचारण उक्त वाहन थाने पर खड़ी रहेगी तो अनावश्यक रूप से खराब मौसम, ओस व धूप के कारण क्षतिग्रस्त होगी। विधि व्यवस्था **सुन्दर लाल अम्बालाल देसाई बनाम स्टेट आफ गुजरात (एस०सी०) 2003 (46) ए सी सी 233** के पैरा–8 में मूल्यवान वस्तु या नकदी नोट को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिया गया है। जिसके अनुसार उक्त वाहन को अवमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। पत्रावली पर उक्त वाहन के अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति का कोई प्रार्थना–पत्र दाखिल नहीं है, न ही लम्बित है। अतः उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक के पक्ष में मु0अ0सं0–702/2025, धारा–109, 3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा – 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना–चिलुआताल, जनपद–गोरखपुर के प्रकरण में निरूद्ध वाहन सं०–UP53DT1264 के पंजीकृत वाहन स्वामी अभिषेक कुमार के पक्ष में अवमुक्त किये जाने योग्य है। अतः उक्त वाहन को अभियुक्त अभिषेक कुमार के उचित शिनाख्त पर उक्त वाहन के चेसिस नम्बर एवं इंजन नम्बर की मिलान करके उन्हें सशर्त अवमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अवमुक्ति प्रार्थना–पत्र **3क** दिनांकित 05.05.2026 निम्न शर्तों के साथ स्वीकार किया जाता है–

1– यह कि आवेदक/अभियुक्त अभिषेक कुमार द्वारा मु० रू. 1,00,000/– (एक लाख रूपये मात्र) का प्रतिभू प्रस्तुत करने पर वाहन सं०–UP53DT1264 इंजन नम्बर– DHYRKB83538 व चेचिस नम्बर– MD2A11CY5KRB04150 वाहन स्वामी उपरोक्त के पक्ष में सुपुर्दगी पर अवमुक्त किया जाये एवं अवमुक्ति से पूर्व उक्त वाहन के कई कोणों से स्पष्ट फोटोग्राफ्स लिये जायें तथा ऐसे फोटोग्राफ्स व वाहन के पंजीयन प्रमाण–पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा लिये जायें एवं सुपुर्दगीनामा तैयार किया जाय एवं उसकी एक–एक प्रति थाने पर रखी जायेगी तथा हस्ताक्षर/मूल निशानी अंगूठे वाली प्रति थानाध्यक्ष पत्रावली पर दाखिल करेंगे।

2– न्यायालय द्वारा मंगाये जाने पर उसके वाहन को न्यायालय में प्रस्तुत करेगा तथा इस दौरान उसको न तो क्षतिग्रस्त करेगा और न ही क्षतिग्रस्त होने देगा तथा उसके रूप रंग में परिवर्तन नहीं करेगा और न ही बेचेगा।

3– यदि न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपरोक्त वाहन को उसके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उसकी ओर से प्रस्तुत प्रतिभू पत्र राज्य के पक्ष में समपहृत कर लिया जायेगा एवं उपरोक्त छाया–प्रतियां एवं फोटोग्राफ साक्ष्य में ग्राह्य होगें।

इस आदेश की एक प्रति अनुपालनार्थ सम्बन्धित थानाध्यक्ष को प्रेषित की जाये।

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code–1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.06.12 15:56:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court